



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-19102022-239741
CG-DL-E-19102022-239741

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 526]
No. 526]

नई दिल्ली, बुधवार, अक्टूबर 19, 2022/आश्विन 27, 1944
NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 19, 2022/ASVINA 27, 1944

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 अक्टूबर, 2022

फा.सं. एनसीटीई—रेगु.022/5/2021—ओ/ओ डीएस(विनियम)—मुख्या.—राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् अधिनियम, 1993 (1993 का 73) की धारा 12 के खंड (झ) के साथ पठित धारा 32 की उप-धारा (2) के खंड (त) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् एतद्वारा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (मान्यता, मानदंड तथा प्रक्रिया) विनियम, 2014 में पुनः संशोधन करते हुए निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात्:—

1. लघु शीर्षक तथा प्रवर्तन.— (1) इन विनियमों को राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (मान्यता, मानदंड तथा प्रक्रिया) (द्वितीय संशोधन) विनियम, 2022 कहा जाएगा।

(2) वे सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

2. राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (मान्यता मानदंड तथा प्रक्रिया) विनियम, 2014 (इसके बाद उक्त विनियमों के रूप में संदर्भित) में, परिशिष्ट 15 में, विनियम 5 में,

(क) उप विनियम 5.1 में, खंड (v) के बाद, निम्नलिखित खंड डाला जाएगा, अर्थात्:—

“(vi) निम्नलिखित संस्थान एकीकृत अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम के संबंध में किसी अन्य संस्थान या बहु-विषयक संस्थान या विश्वविद्यालय के साथ संकाय साझा करेंगे।

(क) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान;

(ख) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान;

(ग) भारतीय विज्ञान संस्थान तथा;

(घ) भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान।”

(ख) उप-विनियम 5.2 में, खंड (ख) के बाद, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:—

“ख क. भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, भारतीय विज्ञान संस्थान और भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान के संकाय के मामले में, स्वतंत्र विषय और शिक्षाशास्त्र में सहायक प्रोफेसर की योग्यताएं निम्नानुसार होंगी :—

(i) विज्ञान (भौतिकी या रसायन विज्ञान या वनस्पति विज्ञान या जीव विज्ञान या जीवन विज्ञान या जैव विज्ञान) या गणित या सामाजिक विज्ञान (इतिहास या भूगोल या राजनीति विज्ञान या अर्थशास्त्र) या भाषाएं (अंग्रेजी या आधुनिक भारतीय भाषाएं या शास्त्रीय भाषाएं या वाणिज्य से सम्बन्धित विषय) में न्यूनतम पचपन प्रतिशत अंकों या इसके समकक्ष ग्रेड के साथ स्नातकोत्तर उपाधि।

(ii) इन श्रेणियों के पदों के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा या राज्य स्तरीय पात्रता परीक्षा या शिक्षा में या संबंधित विषय में डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी की उपाधि।

वांछित:

(i) बी.एड. या एम.एड. अथवा विशेषज्ञता के साथ एम.एड.

(ii) शिक्षा में पीएच. डी।”

केसांग वाई. शेरपा, सदस्य सचिव
[विज्ञापन-III/4/असा./346/2022-23]

नोट:

मूल विनियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग— III, खंड 4, दिनांक 1 दिसंबर, 2014 में अधिसूचना संख्या एफ. 51-1/2014/एनसीटीई(एन और एस), दिनांक 28 नवंबर, 2014 को प्रकाशित हुए थे और पिछली बार अधिसूचना संख्या एफ.एनसीटीई-रेगु.1012/13/2021- विनियमन अनुभाग-मुख्यालय, दिनांक 05 मई, 2022 द्वारा संशोधित किए गए थे।

NATIONAL COUNCIL FOR TEACHER EDUCATION NOTIFICATION

New Delhi, the 11th October, 2022

F. No. NCTE-Regl.022/5/2021-O/o DS(Regulation)-HQ.—In exercise of the powers conferred by clause (p) of sub-section (2) of section 32 read with clause (i) of section 12 of the National Council for Teacher Education Act, 1993 (73 of 1993), the National Council for Teacher Education hereby makes the following regulations further to amend the National Council for Teacher Education (Recognition Norms and Procedure) Regulations, 2014, namely:—

1. **Short title and commencement.**—(1) These regulations may be called the National Council for Teacher Education (Recognition Norms and Procedure) (Second Amendment) Regulations, 2022.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the National Council for Teacher Education (Recognition Norms and Procedure) Regulations, 2014, (hereinafter referred to as the said regulations), in Appendix-15, in regulation 5, in sub-regulation 5.1, after clause (v), the following clause shall be inserted, namely:—

“(vi) In case of Indian Institute of Technology, National Institute of Technology, Indian Institute of Science and Indian Institute of Science Education and Research, the programme shall permit sharing of faculty with another institution or multidisciplinary institution or University.”

3. In the said regulations, in Appendix-15, in regulation 5, in sub-regulation 5.2, after clause (B.), the following clause shall be inserted, namely:—

“BA. In case the faculty is from the Indian Institute of Technology, National Institute of Technology, Indian Institute of Science and Indian Institute of Science Education and Research, the qualifications of Assistant Professor—in Liberal Discipline and Pedagogy, shall be as under:

(i) Post-Graduate degree in Sciences (Physics or Chemistry or Botany or Zoology or Life Sciences or Bioscience) or Mathematics or Social Sciences (History or Geography or Political Science or Economics) or Languages (English or Modern Indian Languages or Classical Languages) or Commerce allied subjects) with minimum fifty-five percent marks or its equivalent grade.

- (ii) National Eligibility Test or State Level Eligibility Test or Doctor of Philosophy in Education or in the concerned subject as prescribed by the University Grants Commission for these categories of posts.

Desirable:

- (i) B.Ed. or M.Ed. or M.Ed. with Specialisation
(ii) Ph. D in Education.”

KESANG Y. SHERPA, Member Secy.
[ADVT.-III/4/Exy./346/2022-23]

Note:

The Principal regulations were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, dated the 1st December, 2014, *vide* notification number F.51-1/2014/NCTE (N&S), dated the 28th November, 2014 and were last amended *vide* notification number F. No NCTE-Regl012/13/2021- Reg. Sec.-HQ., dated the 5th May, 2022.